गेल (इंडिया) लिमिटेड तथा उसके सीजीडी संयुक्त उद्यम और गेल गैस लिमिटेड तथा उसके संयुक्त उद्यम

उद्यमियों / एकमात्र प्रोपराइटरशिप / पार्टनरशिप /
सीमित देयता भागीदारी / कंपनियों / कोऑपरेटिव सोसायटियों / प्रौद्योगिकी प्रदाताओं

से

सतत

(वहनीय परिवहन के लिए स्थायी विकल्प)

के अंतर्गत

कंप्रेस्ड बॉयो गैस (सीबीजी) की आपूर्ति

के लिए

रुचि की अभिव्यक्ति
(ईओआई)

आमंत्रित करते हैं

क्र.सं.	सीजीडी कंपनी का नाम	वेबसाइट
1	गेल (इंडिया) लिमिटेड	www.gailonline.com
2	गेल गैस लिमिटेड	www.gailgas.com
3	अवंतिका गैस लिमिटेड	www.aglonline.net
4	भाग्यनगर गैस लिमिटेड	www.bglgas.com
5	सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड	www.cugl.co.in
6	ग्रीन गैस लिमिटेड	www.gglonline.net
7	महानगर गैस लिमिटेड	www.mahanagargas.com
8	महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड	www.mngl.in
9	त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड	www.tngclonline.com
10	वडोदरा गैस लिमिटेड	www.vgl.co.in
11	गोदावरी गैस प्राइवेट लिमिटेड	www.godavarigas.in
12	राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड	www.rsgl.rajasthan.gov.in
13	हरिद्वार नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड	www.hngpl.in
14	गोवा नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड	www.goanaturalgas.com

(प्रेस विज्ञप्ति)

रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रण सूचना

संदर्भ: गेल_सीबीजी16 **दिनांक:** 01/**08/2019**

गेल (इंडिया) लिमिटेड और उसके सीजीडी जेवी और गेल जीएएस लिमिटेड और उसके जेवी को कंप्रेस्ड बॉयो गैस (सीबीजी) की आपूर्ति

1. गेल (इंडिया) लिमिटेड भारत में सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस ट्रांसमिशन और विपणन कंपनी है। इसके अलावा, गेल अपने सीजीडी संयुक्त उद्यम / सहायक कंपनियों और इसके संयुक्त उद्यमों के साथ परिवहन क्षेत्र के लिए विभिन्न क्षेत्रों अर्थात् कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस (सीएनजी) की आपूर्ति करने के लिए शहर गैस वितरण (सीजीडी) व्यवसाय के विकास में लगी हुई है और भारत के विभिन्न शहरों में घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्र के लिए पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस (पीएनजी) की आपूर्ति कर रही है। सीजीडी व्यवसाय में शामिल कंपनियों के नाम इस प्रकार हैं;
   - i. गेल (इंडिया) लिमिटेड
   - ii. गेल गैस लिमिटेड
   - iii. अवंतिका गैस लिमिटेड
   - iv. भाग्यनगर गैस लिमिटेड
   - v. सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड
   - vi. ग्रीन गैस लिमिटेड
   - vii. महानगर गैस लिमिटेड
   - viii. महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड

ix. त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड
x. वडोदरा गैस लिमिटेड
xi. गोदावरी गैस प्राइवेट लिमिटेड
xii. राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड
xiii. हरिद्वार नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड
xiv. गोवा नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड

उपर्युक्त कंपनियों को इस ईओआई में बाद **सीजीडी कंपनियों** के रूप में उल्लेख किया जाएगा।

2. सीजीडी कंपनियाँ बॉयोमास / अपशिष्ट का प्रसंस्करण करने वाले संयंत्रों से कंप्रेस्ड बॉयो गैस (सीबीजी) की आपूर्ति करने और देश भर में सीजीडी कंपनियों के विभिन्न खुदरा बिक्री केंद्रों को उत्पादित कंप्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) प्रदान करने के लिए **उद्यमी / एकमात्र प्रोप्राइटरशिप / पार्टनरशिप / सीमित देयता पार्टनरशिप / कंपनी / कोऑपरेटिव सोसाइटियां / प्रौद्योगिकी प्रदाता** (इसके बाद से **आवेदक** कहा गया है) से रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्ताव आमंत्रित करती हैं।

3. इस ईओआई को आमंत्रित करने का उद्देश्य बॉयोमास/ सीबीजी संयंत्रों की स्थापना के लिए आवेदक को प्रोत्साहित करना है तथा भारत में सीबीजी की मौजूदा क्षमता का उपयोग करना है।

4. इस ईओआई दस्तावेज़ में उल्लिखित अनुसार आवेदनों को अंतिम रूप देना एक सतत् प्रक्रिया है।

5. ईओआई जारी करने की अनुसूची नीचे तालिका में दी गई है

ईओआई सं.	**प्रारंभ तिथि**	**अंतिम तिथि**	**मूल्यांकन की शुरुआत**
सीबीजी 08	01.04.2019	15.04.2019	16.04.2019
सीबीजी 09	16.04.2019	30.04.2019	01.05.2019
सीबीजी 10	01.05.2019	15.05.2019	16.05.2019
सीबीजी 11	16.05.2019	31.05.2019	01.06.2019
सीबीजी 12	01.06.2019	15.06.2019	16.06.2019
सीबीजी 13	16.06.2019	30.06.2019	01.07.2019

सीबीजी 14	01.07.2019	15.07.2019	16.07.2019
सीबीजी 15	16.07.2019	31.07.2019	01.08.2019
सीबीजी 16	01.08.2019	15.08.2019	16.08.2019
सीबीजी 17	16.08.2019	31.07.2019	01.09.2019
सीबीजी 18	01.09.2019	15.09.2019	16.09.2019
सीबीजी 19	16.09.2019	30.09.2019	01.10.2019

पिछले ईओआई की प्रतिक्रिया और सीजीडी कंपनियों की शेष आवश्यकता के आधार पर यदि आवश्यक हो तो ईओआई सं. सीबीजी 03 से सीबीजी 07 जारी की जाएगी। सीजीडी कंपनी के निर्णय के अनुसार ईओआई की तारीखों को आगे बढ़ाया जा सकता है।

इस ईओआई के लिए प्रमुख समय-सीमा और अन्य विवरण

ईओआई डाउनलोड करें	ईओआई को उपर्युक्त तालिका में दी गई किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है
ईओआई लागत	शून्य
हस्ताक्षरित और मोहर लगी ईओआई की प्रस्तुति	पूरी तरह से भरे हुए, हस्ताक्षरित और मोहर लगी ईओआई को संबंधित सीजीडी कंपनी को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके भौगोलिक क्षेत्र में आवेदक cbg@gail.co.in को प्रतिलिपि सहित सीबीजी की बिक्री करना चाहता है। ई-मेल के लिए नीचे **तालिका क** देखें।

तालिका क

क्र.सं.	**सीजीडी कंपनी का नाम**	**वेबसाइट**	**ईओआई प्रस्तुत करने के लिए ईमेल आईडी**
1	गेल (इंडिया) लिमिटेड	**www.gailonline.com**	**kk04676@gail.co.in**
2	गेल गैस लिमिटेड	**www.gailgas.com**	**marketing_gailgas@gail.co.in**
3	अवंतिका गैस लिमिटेड	**www.aglonline.net**	**sandeep@aglonline.net**

4	भाग्यनगर गैस लिमिटेड	www.bglgas.com	mkurakula@hpcl.in
5	सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड	www.cugl.co.in	navinsingh@cugl.co.in
6	ग्रीन गैस लिमिटेड	www.gglonline.net	r.rini@gglonline.net
7	महानगर गैस लिमिटेड	www.mahanagargas.com	ebuy@mahanagargas.com
8	महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड	www.mn gl.in	info@mngl.in
9	त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड	www.tngclonline.com	bananidebbarman@gail.co.in
10	वडोदरा गैस लिमिटेड	www.vgl.co.in	marketing_gailgas@gail.co.in
11	गोदावरी गैस प्राइवेट लिमिटेड	www.godavarigas.in	marketing_gailgas@gail.co.in
12	राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड	www.rsgl.rajasthan.gov.in	marketing_gailgas@gail.co.in
13	हरिद्वार नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड	www.hngpl.in	marketing_gailgas@gail.co.in
14	गोवा नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड	www.goanaturalgas.com	marketing_gailgas@gail.co.in

6. **प्रश्न**: आवेदक ध्यान दें कि संबंधित सीजीडी कंपनी के ईओआई से संबंधित कोई भी प्रश्न **तालिका क** में उपलब्ध कराए गए ई-मेल पते पर ही तथा उसकी प्रति cbg@gail.co.in पर ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी चाहिए । किसी अन्य रूप में प्राप्त प्रश्न / स्पष्टीकरण का उत्तर नहीं दिया जाएगा। संबंधित सीजीडी कंपनी से एक लिखित उत्तर उसी पते पर दिया जाएगा।

7. समस्त ईओआई की जानकारी के लिए, इच्छुक पार्टियां गेल और उसके सीजीडी संयुक्त उद्यम तथा गेल गैस लिमिटेड और उसके संयुक्त उद्यम, जैसा कि **तालिका क** में ऊपर वर्णित है, की वेबसाइट देख सकती हैं।

8. ईओआई में किए गए सभी संशोधन, स्पष्टीकरण, विदेशी मुद्रा, अनुशेष, समय-विस्तार आदि को उपरोक्त वेबसाइटों पर अपलोड किया जाएगा। बाद की सभी ईओआई (सीबीजी 03 से सीबीजी 07 तक) को उपर्युक्त वेबसाइटों पर अपलोड किया जाएगा। आवेदक को स्वयं को अपडेट रखने के लिए नियमित रूप से इस वेबसाइट को देखना चाहिए।

9. ईओआई की प्रस्तुति

किसी भी सीजीडी कंपनी की पूर्ण ईओआई को तालिका क के अनुसार विधिवत भरा जाना चाहिए, और उस पर हस्ताक्षर करके मोहर लगाई जानी चाहिए तथा उसे नियत तारीख और समय से पहले संबंधित सीजीडी कंपनी की ईमेल आईडी पर ई-मेल के माध्यम से cbg@gail.co.in पर उसकी प्रतिलिपि सहित भेजा जाना चाहिए, जिसके लिए आवेदक आवेदन करना चाहता है। कोई ईओआई भौतिक रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

आवेदक किसी विशिष्ट संयंत्र के लिए किसी विशिष्ट सीजीडी कंपनी हेतु आवेदन कर सकता है। यदि किसी संयंत्र के लिए एक से अधिक सीजीडी कंपनियों को ईओआई प्रस्तुत किया जाता है, तो सभी सीजीडी कंपनियों द्वारा संयंत्र के लिए ईओआई अस्वीकार अस्वीकार कर दी जाएंगी।

10. संबंधित सीजीडी कंपनी द्वारा आवेदक का चयन / व्यक्तिगत रूप से बनाई जाएगी, जो ईओआई दस्तावेज़ में विस्तृत प्रणाली के अनुसार विपणन प्रणाली पर आधारित होगी और तदनुसार आवेदक को सूचित किया जाएगा।

I. <u>परिचय</u>

1. कृषि अवशेष, मवेशियों का गोबर, गन्ने की लुगदी, नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट और सीवेज उपचार संयंत्र अपशिष्ट आदि जैसे अपशिष्ट / जैव-द्रव्यमान स्रोत अवायवीय अपघटन की प्रक्रिया के माध्यम से बॉयो-गैस का उत्पादन करते हैं। बॉयो-गैस को हाइड्रोजन सल्फाइड (एच$_2$एस), कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ$_2$), जल वॉष्प और कंप्रेस्ड बॉयो गैस (सीबीजी) के रूप में कंप्रेस्ड करने के लिए शुद्ध किया जाता है, जिसमें 90% से अधिक मीथेन (सीएच$_4$) तत्व होते हैं। सीबीजी में सीएनजी के समान कैलोरी मान और अन्य गुण होते हैं और इसलिए इसका हरित नवीकरणीय मोटर वाहन ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार, देश में इसकी बहुतायत में बॉयोमास उपलब्धता को देखते हुए, यह ऑटोमोटिव, औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में सीएनजी का स्थान ले सकता है।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पहले ही जैव-ईंधन 2018 पर राष्ट्रीय नीति की घोषणा कर दी है, जिसमें देश में सीबीजी सहित उन्नत जैव ईंधन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है।

3. सीबीजी और उद्यमिता के अवसरों के लिए एक स्थिर आपूर्ति श्रृंखला बनाने हेतु सीबीजी संयंत्रों को मुख्य रूप से स्वतंत्र उद्यमियों द्वारा स्थापित किया जाएगा। सीजीडी कंपनी ऐसे संयंत्रों से उत्पादित सीबीजी लेगी।

4. सीजीडी कंपनियां भारत में मौजूदा, निर्माणाधीन और नियोजित कंप्रेस्ड बॉयो गैस (सीबीजी) संयंत्रों से सीबीजी खरीदने का प्रस्ताव करती हैं।

5. आवेदक के लिए सामान्य नियम निम्नलिखित अनुसार होगा:-

क) आवेदक आयोजना, तैयारी, इंजीनियरिंग और परियोजना के निष्पादन के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें कच्ची सामग्री का भंडारण, संयंत्र का प्रचालन और रखरखाव, अंतिम उत्पाद आउटपुट मात्रा और गुणवत्ता को बनाए रखना, उप-उत्पादों का प्रबंधन और मौजूदा केंद्रीय / राज्य के मानदंडों के अनुसार संयंत्र से अपशिष्ट तथा उनकी अपनी लागत पर परियोजना के लिए निष्पादन गारंटी प्रदान करना शामिल है।

ख) सीबीजी संयंत्र की स्थापना करना और उसे चालू करना तथा इसके सतत् प्रचालन के लिए समस्त भूमि और वित्त की व्यवस्था करना आवेदक की पूर्ण जिम्मेदारी है।

ग) आपूर्ति की जाने वाली कंप्रेस्ड बॉयो गैस (सीबीजी) बीआईएस के **आईएस 16087:2016** विनिर्देशों (नीचे विस्तृत) और उक्त विनिर्देशों में किसी भी अन्य संशोधन के अनुरूप होगी।

आईएस 16087: 2016 मानक		
क्र.सं.	**विशेषता**	**आवश्यकता**
1	मीथेन प्रतिशत (सीएच$_4$), न्यूनतम	90.0%
2	केवल कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिशत (सीओ$_2$), अधिकतम	4%
3	कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ$_2$) + नाइट्रोजन (एन$_2$) + ऑक्सीजन (ओ$_2$) प्रतिशत अधिकतम	10%
4	ऑक्सीजन (ओ$_2$) प्रतिशत अधिकतम	0.5%
5	कुल सल्फर (एच$_2$एस सहित) मि.ग्रा./ एम^3, अधिकतम	20 मि.ग्रा./ एम^3
6	नमी मि.ग्रा./ एम^3, अधिकतम	5 मि.ग्रा./ एम^3

आईएस 16087:2016 विनिर्देशों के अनुसार, निम्नलिखित को भी पूरा किया जाएगा

i. सीबीजी, भंडारण और वितरण प्रणाली में आने वाले तापमान और दबाव की पूरी श्रृंखला में तरल पदार्थों से मुक्त होगा।

ii. सीबीजी गंदगी, धूल इत्यादि जैसे कणों से मुक्त होगी।

iii. वितरित सीबीजी को स्थानीय वितरण में पाए गए स्तर के समान सुगंधित बनाया जाएगा (संदर्भ आईएस 15319)

घ) सीबीजी को 250 बॉर में कंप्रेस्ड किया जाएगा और इसकी ईओआई दस्तावेज में उल्लिखित अनुसार कासकेड के माध्यम से सीजीडी कंपनी खुदरा बिक्री केंद्र को आपूर्ति की जाएगी।

ड.) संबंधित सीजीडी कंपनी द्वारा सीबीजी का उठान बाजार में मांग के अनुसार होगा तथा ऐसी उम्मीद है कि प्रारंभिक चरण के उठान से संयंत्र की डिजाइन क्षमता तक आपूर्ति समय-समय पर धीरे-धीरे बढ़ती जाएगी।

च) एकल सीबीजी संयंत्र की न्यूनतम डिजाइन क्षमता सीबीजी का **2.0 टन** प्रति दिन (टीपीडी) होगी।

6. योग्यता मानदंड

क) आवेदक की आयु कम से कम 21 वर्ष (व्यक्तिगत आवेदक के मामले में) होनी चाहिए।

ख) आवेदक भारतीय नागरिक होगा और / या भारत में पंजीकृत कंपनी और / या अनिवासी भारतीय / भारतीय मूल और / या कोई बहु राष्ट्रीय कंपनी का व्यक्ति होना चाहिए, जिसका भारत में अपना पंजीकृत कार्यालय / प्रवासी कॉर्पोरेट निकाय होना चाहिए।

ग) आवेदक सीबीजी संयंत्रों की स्थापना और इसके प्रचालन एवं रखरखाव के लिए भारत सरकार या स्थानीय सरकार/ सरकारी निकायों द्वारा समय-समय पर निर्धारित सभी वैधानिक मानदंडों का पालन करेगा।

घ) ईओआई का मूल्यांकन यहां नीचे दी गई तालिका के अनुसार आबंटित कुल 100 अंकों में से किया जाएगा। संभावित आवेदक को अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 35 अंक प्राप्त करने होंगे।

ड.) यदि किसी भौगोलिक क्षेत्र के लिए 01 से अधिक ईओआई प्राप्त होती हैं और संबंधित सीजीडी कंपनी सभी ईओआई को समायोजित नहीं कर सकती है, तो उच्चतर योग्यता मानदंड वाले ईओआई का चयन किया जाएगा।

क्र.सं.	योग्यता मानदंड	अंक	अपेक्षित दस्तावेज़
(i)	**ईओआई प्रस्तुत करने की तारीख से एक दिन पहले किसी भी क्षेत्र में फर्म के वर्षों के अनुभव की संख्या**	**अधिकतम 15 अंक**	आवेदक कंपनी के पंजीकरण के संबंध में प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करेगा
क)	5 वर्ष से अधिक या समकक्ष	15	
ख)	2 वर्ष से अधिक या समकक्ष, लेकिन 5 वर्ष से कम	10	
ग)	2 वर्ष से कम	5	
(ii)	**परियोजना निष्पादन में 10 वर्ष का विगत अनुभव, जिसमें आपूर्ति, इन्स्टालेशन, बायोगैस का उत्पादन करने के लिए सुविधाओं की स्थापना या ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल / सामाजिक कल्याण / बुनियादी ढांचा / बिजली / बॉयोमास / परिवहन में किसी अन्य परियोजना कार्य में पिछला अनुभव।**	**अधिकतम 25 अंक**	आवेदक प्रासंगिक कार्य आदेश / समापन प्रमाणपत्र / संयंत्र के निष्पादन के समर्थन में कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करेगा
क)	प्रत्येक 5-10 करोड़ रुपए के बीच निवेश सहित न्यूनतम 1 परियोजना	25	
ख)	प्रत्येक 2-5 करोड़ रुपए के बीच निवेश से न्यूनतम 1 परियोजना	15	
ग)	प्रत्येक 1-2 करोड़ रुपए के बीच निवेश से कम से कम 1 परियोजना	10	
घ)	1 करोड़ रुपए तक के निवेश सहित न्यूनतम 1 परियोजना	5	
(iii)	**टर्नओवर (लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार, पिछले 3 वित्तीय वर्षों का औसत अर्थात् 2015-16, 2016-17 और 2017-18)**	**अधिकतम 30 अंक**	लेखा-परीक्षा, तुलन-पत्र और लाभ और हानि खातों के विवरण वाली वार्षिक रिपोर्ट
क)	5 करोड़ रुपए से अधिक या उसके समकक्ष	30	
ख)	3 करोड़ रुपए से अधिक या समकक्ष, लेकिन 5 करोड़ रुपए से कम	20	
ग)	1 करोड़ रुपए से अधिक या समकक्ष, लेकिन 3 करोड़ रुपए से कम	10	
घ)	1 करोड़ रुपए से कम	5	
(iv)	**तकनीकी दक्षता और अनुबंध**	**अधिकतम 30 अंक**	आवेदक आंतरिक प्रौद्योगिकी / प्रौद्योगिकी अनुबंध
क)	डाइजेस्टर पर प्रौद्योगिकी प्रदाता के साथ आंतरिक तकनीकी	10	

क्र.सं.	**योग्यता मानदंड**	**अंक**	**अपेक्षित दस्तावेज़**
	ज्ञान /अनुबंध की प्रोसेसिंग		प्रमाणित करने वाले दस्तावेजों सहित प्रासंगिक तकनीकी दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।
ख)	शुद्धिकरण प्रणाली पर प्रौद्योगिकी प्रदाता के साथ आंतरिक तकनीकी जानकारी / अनुबंध करना	10	
ग)	कंप्रेसर पर प्रौद्योगिकी प्रदाता के साथ घर में तकनीकी जानकारी प्राप्त करना / अनुबंध करना	10	

7. **जोखिम**

आवेदक को सीबीजी संयंत्र की स्थापना और उसके विपणन में शामिल विभिन्न जोखिमों की पूरी जानकारी होनी चाहिए और किसी भी निवेश निर्णय के लिए प्रतिबद्ध होने से पहले भली-भांति विचार-विमर्श करना चाहिए। सीजीडी कंपनी उनके द्वारा लिए गए व्यावसायिक निर्णय या भविष्य में किसी भी अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण होने वाले नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।

8. भावी आवेदक सीजीडी कंपनी और उनके संबंधित भौगोलिक क्षेत्र, जिसके माध्यम से वे सीबीजी का विपणन करने का चयन करते हैं, का संयंत्र-वार नाम स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करेंगे। सीजीडी संस्थाओं के भौगोलिक क्षेत्र का विवरण **अनुबंध III** में दिया गया है ।

<u>आवेदक को निम्न तालिका में अपनी वरियता स्पष्ट रूप से दर्शानी चाहिए:</u>

क्र.सं.	**मौजूदा / नियोजित संयंत्र का नाम और स्थान**				**सीजीडी कंपनी का नाम जिसके द्वारा सीबीजी की फुटकर बिक्री की जाएगी**	**सीजीडी कंपनी का भौगोलिक क्षेत्र जिसमें सीबीजी की फुटकर बिक्री की जाएगी**
	नाम	स्थान	मौजूदा / नियोजित	क्षमता (प्रति दिन टन)		
1						
2						
3						

9. **सीबीजी की आपूर्ति का व्यावसायिक मॉडल**

निर्माता / विक्रेता (पार्टी / उद्यमी), सीबीजी को सीजीडी कंपनी के ***मौजूदा या नए खुदरा बिक्री केंद्र / पृथक बिक्री स्थल*** पर कैस्केड के माध्यम से डिलीवर करेंगे। सीजीडी कंपनी में सीबीजी की डिलीवरी के लिए *मौजूदा या नए रिटेल खुदरा बिक्री केंद्र / पृथक बिक्री स्थल* पर उपकरण स्थापित किए जाएंगे और उनका सीजीडी कंपनी द्वारा रखरखाव किया जाएगा तथा सीजीडी कंपनी या इसके अधिकृत सेवा एजेंट / डीलर / प्रतिनिधि द्वारा सीबीजी नोज़ल रखा एवं संचालित किया जाएगा। खुदरा बिक्री केंद्र पर कंप्रेसर के कैस्केड / इनलेट फ्लैंज का आउटलेट फ्लैज सीबीजी का बिक्री स्थल होगा। खुदरा बिक्री केंद्र में कंप्रेसर परिचालन के व्यवहार्य रहने तक जुड़ा रहेगा।

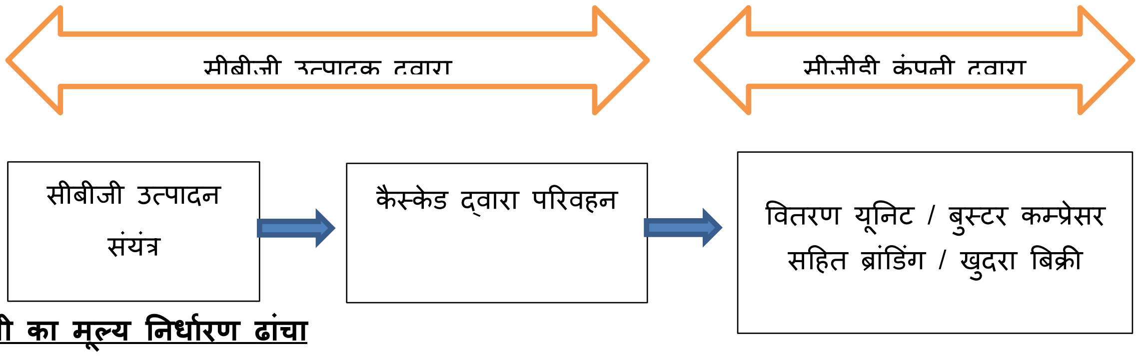

<u>सीबीजी का मूल्य निर्धारण ढांचा</u>

<u>(01.01.2019 से तीन वर्षों के लिए सीजीडी कंपनी / फिक्स्ड के माध्यम से फुटकर बिक्री / कीमत की 3 वर्ष के अंत में समीक्षा की जाएगी।)</u>

मद	यूनिट	मूल्य
सीबीजी बैठक की मूल कीमत 16087:2016 मानक, 250 बार पर कंप्रेस्ड और सीजीडी कंपनी खुदरा बिक्री केंद्र में कैस्केड में वितरित की गई	रु./ किग्रा	46.00
वास्तविक के अनुसार जीएसटी (वर्तमान में 5%)	रु./ किग्रा	2.30
पार्टी को भुगतान किया जाने वाला कुल आपूर्ति मूल्य (जीएसटी सहित)	रु./ किग्रा	**48.30**

10. सूचना आामंत्रण निविदा, जिसे सीजीडी कंपनी के निर्णय के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है, में उल्लेख किए गए अनुसार इस ईओआई दस्तावेज में उल्लिखित आवेदकों को अंतिम रूप देना एक सतत् प्रक्रिया है। सीजीडी कंपनी को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय प्रक्रिया को बंद करने का अधिकार होगा। इस ईओआई दस्तावेज़ में उल्लिखित योग्यता मानदंडों के अनुसार समय-समय पर प्राप्त सभी आवेदनों का मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन करने पर, यदि यह पाया जाता है कि आवेदक ने किसी भी योग्यता मानदंड के समर्थन में अधूरे या अस्पष्ट दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, तो आवेदक को योग्यता मानदंडों के

समर्थन में स्पष्टीकरण/ आवश्यक दस्तावेज मांगने के लिए एक तकनीकी-व्यावसायिक प्रश्नावली भेजी जा सकती है।

11. सूचीबद्ध आवेदकों को उनके द्वारा योग्यता मानदंड के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर उनकी सूचीबद्धता के संबंध में संबंधित सीजीडी कंपनी द्वारा पर अलग से सूचित किया जाएगा। आवेदक इस ईओआई दस्तावेज़ में उल्लिखित मानदंडों के अनुसार उनकी योग्यता की पुष्टि करने के बाद ही आवेदन प्रस्तुत करें।

II. <u>सामान्य</u>

1. इस दस्तावेज़ में तीन खंड शामिल हैं, नामत: निविदा आमंत्रण सूचना, ईओआई प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप (**अनुलग्नक-1** के रूप में संलग्न है, जिसमें एक आवरण-पत्र और इसका **अनुलग्नक-क**) शामिल है।

2. ईओआई की प्रस्तुति

3. आवेदक पात्रता मानदंडों को पूरा करने के समर्थन में यह स्व-प्रमाणन प्रस्तुत करेगा कि उस पर परिसमापन, अदालती रसीवरशिप या इसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं चल रही है। जहां लागू होगा, सभी भागीदारों के लिए भी ऐसा स्व-प्रमाणन प्रस्तुत करना होगा। इसका एक प्रारूप **अनुबंध II** के रूप में संलग्न है।

4. ईओआई तैयार करने या उसकी डिलीवरी के संबंध में आवेदक द्वारा किए गए किसी भी खर्च या व्यय के लिए सीजीडी कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी।

5. मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार आवेदकों की सूचीबद्धता / चयन के बाद, निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी
   - क. सीजीडी कंपनी किसी भी संबंधित मूल दस्तावेजों के साथ अपनी व्यावसायिक योजना और मॉडल (फीडस्टॉक, संयंत्र स्थल, खुदरा बिक्री केंद्र से दूरी आदि) की प्रस्तुति देने के लिए आवेदक को सूचित करेगी। सीजीडी कंपनी इस उद्देश्य के लिए आवेदक द्वारा किए गए खर्च या लागत के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।
   - ख. सीजीडी कंपनी मूल्यांकन / सत्यापन के लिए साइट का दौरा कर सकती है। आवेदक को इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं होगी और वह सीजीडी कंपनी को दौरे की सुविधा प्रदान करेगी।

ग. सीजीडी कंपनी सीबीजी बिक्री के लिए तकनीकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता को पूरा करेगी।

यदि आवश्यक हो तो सीजीडी कंपनी, सीजीडी पाइपलाइन नेटवर्क में सीबीजी इंजेक्शन, सीजीडी आदि द्वारा कैस्केड / सीबीजी कंप्रेसर प्रावधान आदि जैसे अन्य व्यवहार्य विकल्पों का मूल्यांकन भी कर सकती है। संबंधित सीजीडी और सीबीजी कंपनी के बीच सीबीजी मूल्य श्रृंखला में विभिन्न लागत घटक का प्रावधान करने, इस ईओआई के भाग I खंड 9 के अनुसार प्रस्तावित मूल्य निर्धारण ढांचे के समग्र आशय को बनाए रखने के बाद अन्य व्यवहार्य विकल्पों पर अलग से विचार करने के लिए आपसी समझौता किया जाना चाहिए।

घ. सीजीडी कंपनी अपनी तकनीकी व्यावसायिक व्यवहार्यता के आधार पर एलओआई दस्तावेज़ जारी करेगी।

ड. वाणिज्यिक समझौते पर हस्ताक्षर करना।

6. आवेदक एलओआई की स्वीकृति के एक महीने के भीतर, सीबीजी की खुदरा बिक्री के लिए सीजीडी कंपनी के निवेश की सुरक्षा के लिए एक बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा। इसका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है

क. सीबीजी का उत्पादन करने वाले मौजूदा संयंत्र के लिए, प्रति सीबीजी संयंत्र के लिए 1 लाख रुपए की बैंक गारंटी।

ख. अन्य (नियोजित / निर्माणाधीन) सीबीजी संयंत्रों के लिए, प्रति सीबीजी संयंत्र 5 लाख रुपए की बैंक गारंटी।

7. आवेदक को अंग्रेजी भाषा में इस ईओआई में वर्णित सभी सूचनाओं और दस्तावेजों को प्रस्तुत करना आवश्यक है। ईओआई दस्तावेजों के साथ किसी अन्य भाषा में प्रस्तुत किसी भी मुद्रित साहित्य / दस्तावेजी साक्ष्य के साथ प्रामाणिक अंग्रेजी अनुवाद संलग्न होना चाहिए, इस मामले में, दस्तावेज़ की व्याख्या के उद्देश्य के लिए, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

III. विशेष निबंधन एवं शर्तें

सीजीडी कंपनी को सीबीजी की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तें सांकेतिक हैं लेकिन विस्तृत नहीं हैं।

- **व्यवसाय मॉडल**
  - बिंदु 9 में उल्लेख किए गए अनुसार विशिष्ट व्यवसाय मॉडल को अंतिम रूप दिया जाएगा।
  - सीजीबी को सीजीडी कंपनी के ब्रांड नाम के अंतर्गत बेचा जाएगा।

- **गुणवत्ता मापदंड**
  - सीबीजी की आपूर्ति आईएस 16087:2016 मानकों के अनुसार होगी। फिल्ट्रेशन यूनिट, सुखाने की यूनिट और ऑनलाइन गैस क्रोमैटोग्राफ / गैस विश्लेषक का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि यह सीबीजी आईएस 16087:2016 मानकों के अनुरूप है। डिलीवरी के दौरान सीबीजी को 250 बार दबाव में कंप्रेस्ड किया जाएगा।
  - आवेदक के पास सुसज्जित प्रयोगशाला, ऑनलाइन गैस क्रोमैटोग्राफ / गैस विश्लेषक और सभी प्रासंगिक परीक्षण उपकरण होने चाहिए।
  - आवेदक द्वारा रखे गए सभी प्रयोगशाला उपकरणों का सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा समय-समय पर सत्यापन किया जाएगा।
  - आवेदक द्वारा प्रमाणित परीक्षण रिपोर्ट के साथ आपूर्ति का प्रत्येक बैच संलग्न होगा।
  - सीजीडी कंपनी को स्वतंत्र नमूना परीक्षण का अधिकार होगा, जो सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

- **आपूर्ति की स्थिति**
  - सीबीजी का उत्पादन बाजार की मांग पर आधारित होगा जिसमें बाजार की मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन में धीरे-धीरे वृद्धि की जाएगी।
  - वाणिज्यिक समझौते की अवधि 10 वर्ष होगी। इसे आपसी सहमति से बढ़ाया जाएगा।

- **आपूर्ति में व्यवधान**
  - यदि आपूर्ति निरंतर अवधि के लिए नहीं होती है या रुक-रुक कर होती है, तो सीजीडी कंपनी आपूर्ति को निलंबित करने या वाणिज्यिक समझौते को समाप्त करने या निर्माता के जोखिम और लागत पर अन्य स्रोतों से सीबीजी / सीएनजी प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगी।

- **अनुमोदन**
  - विक्रेता अपने सुविधा केंद्र और उपकरणों के लिए सभी आवश्यक वैधानिक अनुमोदन प्राप्त करेगा।

- **सुरक्षा प्रक्रिया**
  - दोनों पक्ष सभी लागू सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करेंगे।

IV. <u>सत्यनिष्ठता समझौता</u>

आवेदक को सीजीडी कंपनी के साथ वाणिज्यिक समझौता करने से पहले संबंधित सीजीडी कंपनी के लिए अनिवार्य रूप से एक सत्यनिष्ठता समझौते (आईपी) पर हस्ताक्षर करने होंगे।

V. **<u>शिकायत निवारण प्रणाली</u>**

इस ईओआई से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का समाधान परस्पर विश्वास के साथ चर्चा के माध्यम से किया जाएगा ताकि ऐसे विवाद को शीघ्रता से सुलझाया जा सके। यदि विवाद बना रहता है तो, सीजीडी कंपनी के प्रावधानों, यदि लागू हो, के अनुसार पक्षकार सुलह द्वारा विवाद सुलझाने पर सहमत होंगे। यदि विवाद का 60 दिनों की अवधि के भीतर समाधान नहीं होता है या सीजीडी कंपनी सुलह नियम लागू नहीं होता है, तो पक्षकार विवाद का समाधान न होने की स्थिति में, सुलह और मध्यस्थता स्कोप फोरम (एसएफसीए) के नियमों के अनुसार मध्यस्थता द्वारा विवाद का निपटान करने पर सहमत होंगे। मध्यस्थता का स्थान नई दिल्ली होगा और मध्यस्थता की भाषा अंग्रेजी होगी। मध्यस्थ का अधिनिर्णय पार्टियों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

VI. **<u>अधिशासी कानून</u>**

भारत संघ का कानून ईओआई से संबंधित सभी मामलों को अधिशासित करेगा। ईओआई या चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी मुद्दे का नई दिल्ली, भारत के न्यायालयों द्वारा अकेले अधिनिर्णय दिया जाएगा।

सीजीडी कंपनी को बिना कोई कारण बताए अपने पूर्ण विवेक से प्राप्त किसी भी या सभी ईओआई को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

VII. **<u>महत्वपूर्ण टिप्पणी</u>**

इस विज्ञापन को सीजीडी कंपनी की ओर से सीबीजी के उठान के लिए कोई भी प्रतिबद्धता नहीं मानी जाएगी।

सीजीडी कंपनी को ईओआई को मान्यता देने या स्वीकार करने का एकमात्र विवेकाधिकार है और वह बिना कोई कारण बताए प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता है।

इसके अलावा, यह विज्ञापन प्रस्तावित ईओआई में भाग लेने के लिए किसी भी पक्ष को न तो कोई अधिकार देता है और न ही किसी अपेक्षा की पुष्टि करता है।

अनुलग्नक-I

ईओआई प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र
(आवेदक के आधिकारिक लेखन-सामग्री / पत्र-शीर्ष पर मुद्रित किया जाए)

सेवा में,
(लागू अनुसार संबंधित सीजीडी कंपनी का नाम और पता)

प्रिय महोदय,

विषय: **"सीजीडी कंपनियों को कंप्रेस्ड बॉयो गैस (सीबीजी) की आपूर्ति"** के लिए रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करना।

आपके दिनांक................. की ईओआई आमंत्रण सूचना सं. गेल_सीबीजीओ0....के संदर्भ में और **"सीजीडी कंपनियों को कंप्रेस्ड बॉयो गैस (सीबीजी) की आपूर्ति"** के लिए ईओआई दस्तावेज में उल्लिखित विस्तृत दस्तावेजों, चयन मानदंड और अन्य विवरणों की जांच करने के बाद, मैं/हम एतद्द्वारा अपनी/हमारी रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करते हैं।

1. इस संबंध में आवश्यक सभी कार्यक्रम और दस्तावेज इसके साथ संलग्न हैं। दस्तावेजों के सभी दस्तावेज/ फोटोप्रतियां मेरे / हमारे द्वारा स्व-सत्यापित की गई हैं और यदि दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज / फोटोकॉपी गलत / जाली पाई जाती है तो सीजीडी कंपनी हमारी उम्मीदवारी को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है।

2. मैं/हम, एतद्द्वारा यह भी घोषणा करते हैं कि मेरा/हमारा संगठन/फर्म किसी भी केंद्रीय/राज्य के सरकारी विभाग, एजेंसी, सार्वजनिक उपक्रम / संस्थान / एजेंसियां / स्वायत्त संगठन द्वारा निषेध/ ब्लैकलिस्ट में नहीं डाला गया है।

3. ईओआई नोटिस के अनुसार मुझसे मांगी गई सूचना इस पत्र के अनुलग्नक-क में संलग्न है।

भवदीय,

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मोहर)
पदनाम:
दिनांक:
स्थान:

अनुलग्नक - क

परियोजना का नाम	**सीजीडी कंपनी को कंप्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) की आपूर्ति**
1.0 सामान्य जानकारी	
ईपीआई प्रस्तुत करने वाले आवेदक का नाम	
आवेदक की प्रकृति या कानूनी स्थिति	
आवेदक का स्वरूप	उद्यमी / एकमात्र प्रोपराइटरशिप / भागीदारी / सीमित देयता भागीदारी / कंपनी / सहकारी समितियाँ / प्रौद्योगिकी प्रदाता
परियोजना में शामिल होने वाली संबद्ध कंपनियां का नाम और पता तथा उनके साथ संबंध और भूमिका, यदि कोई हो	
आवेदक के पंजीकरण दस्तावेज का विवरण *(कंपनी / संगठन के पंजीकरण का विवरण और प्रतिलिपि प्रस्तुत करें)*	
आवेदक का पंजीकृत पता	
अधिकृत संपर्क व्यक्ति का नाम, पदनाम और पता: मोबाइल नंबर लैंडलाइन नंबर फैक्स नंबर	
ई-मेल (व्यक्ति का तथा आवेदक का सामान्य ई-मेल, यदि उपलब्ध हो)	
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम, पदनाम और पता	
पैन विवरण (प्रतिलिपि संलग्न की जाए)	
जीएसटी नंबर (प्रतिलिपि संलग्न की जाए)	
सीआईएन नंबर (यदि लागू हो)	

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आवेदक का टर्नओवर (कृपया लेखा-परीक्षा, तुलन-पत्र और लाभ एवं हानि विवरण की प्रतिलिपि संलग्न करें)	वर्ष	कारोबार (करोड़ रुपए)
	2017-18	
	2016-17	
	2015-16	
यदि आवेदक कोई सहायक कंपनी है, तो मूल कंपनी की भूमिका बताएं		
क्या आवेदक को कभी वर्जित किया गया है या ब्लैकलिस्ट किया गया है? यदि हां, तो कृपया विवरण उपलब्ध कराएं।		
2.0 प्रौद्योगिकी और अनुभव सूचना		
2.1 बायोगैस का उत्पादन करने या ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल / सामाजिक कल्याण/ अवसंरचना /विद्युत/ बॉयोमास/ परिवहन के लिए सुविधाओं की आपूर्ति, स्थापना सहित अन्य किसी परियोजना निष्पादन का पिछले 10 वर्षों का अनुभव	*अतिरिक्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त पंक्तियाँ बनाएं दस्तावेजी साक्ष्य कार्य आदेश / पूर्णता प्रमाण-पत्र / संयंत्र के निष्पादन के समर्थन में कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करना*	
परियोजना का नाम		
परियोजना का प्रकार		
परियोजना स्थल का स्थान		
ग्राहक का नाम		
कार्य आदेश / एलओए या कार्य आरंभ करने की तारीख		
चालू होने की तारीख		
निष्पादित कार्य का मूल्य (करोड़ रुपए में)		
2.2 आवेदक के पास उपलब्ध प्रौद्योगिकी	*आवेदक द्वारा आंतरिक प्रौद्योगिकी प्रमाणित करने वाले दस्तावेजों सहित प्रासंगिक तकनीकी दस्तावेज प्रस्तुत की जाएगी*	
डाइजेस्टर		
शुद्धिकरण प्रणाली		
कंप्रेसर		
2.3 आवेदक का प्रौद्योगिकी अनुबंध	*आवेदक द्वारा समझौता-ज्ञापन,*	

	वाणिज्यिक समझौतों, आदि जैसे प्रौद्योगिकी अनुबंध प्रमाणित करने वाले दस्तावेज सहित प्रासंगिक तकनीकी दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे	
डाइजेस्टर		
शुद्धिकरण प्रणाली		
कंप्रेसर		
आवेदक द्वारा क्षमता सहित स्वामित्व वाले कुल सीबीजी संयंत्र / प्रदत्त प्रौद्योगिकी/ सेवाएं / लाइसेंसों की कुल संख्या	डेमो / प्रायोगिक	व्यावसायिक
मौजूदा / नियोजित व्यक्तिगत संयंत्रों का विवरण, जिनके द्वारा सीजीडी कंपनी को सीबीजी की आपूर्ति की जाएगी		
संयंत्र का नाम		
संयंत्र का प्रकार (डेमो / प्रायोगिक/ व्यावसायिक)		
स्वामित्व के प्रकार	अपना	अन्य (केवल प्रदान की गई प्रौद्योगिकी)
संयंत्र स्थान (शहर/ नगर, राज्य, देश)		
कब से चालू है (चालू होने की तारीख दिनांक/माह/वर्ष प्रारूप में)		
संयंत्र क्षमता	स्थापित: चालू: प्रति वर्ष औसत कार्य दिवस:	
प्रयुक्त प्रौद्योगिकी पर संक्षिप्त विवरण		
प्रयुक्त फीडस्टॉक		
वार्षिक क्षमता: • संसाधित बॉयोमास / अपशिष्ट • सीबीजी • अन्य उप-उत्पाद	 .... (टन प्रतिदिन) .... (टन प्रतिदिन) .... (टन प्रतिदिन)	
कुल संयंत्र क्षेत्र (एकड़ में)		
न्यूनतम वाणिज्यिक मात्रा संयंत्र क्षमता	.... मी.टन /दिवस बॉयोमास	

उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी का विवरण	• प्रोसेस फ़्लो डॉयग्राम • फीडस्टॉक जिसका उपयोग किया जा सकता है • मुख्य उत्पाद और उप-उत्पाद • उप-उत्पादों का उपयोग • पानी का पुनर्चक्रण • बहि:स्राव डिस्चार्ज उत्पाद और उसका उपचार / शून्य तरल डिस्चार्ज / जल का पुन: प्रयोग • क्या प्रौद्योगिकी विस्तार के लिए लचीली है • ऊर्जा दक्षता पहल • कुल सामग्री संतुलन (1 टन संसाधित बॉयोमास की दर से) अन्य महत्वपूर्ण सूचना

संभावित आवेदक स्पष्ट रूप से संयंत्र-वार संबंधित सीजीडी कंपनी का नाम बताएंगे, जिसके माध्यम से वे प्रति संयंत्र सीबीजी और सीबीजी उत्पादन का चयन करते हैं।

तथापि, आवेदक विभिन्न स्थानों पर स्थित अलग-अलग संयंत्रों से उत्पादित अपने सीबीजी के विपणन के लिए विभिन्न सीजीडी कंपनी में आवेदन करने का विकल्प चुन सकते हैं।

(4 से अधिक सीबीजी संयंत्रों के लिए, अतिरिक्त लाइनें जोड़ी जानी चाहिए)

क्र.सं.	सीबीजी संयंत्र का स्थान	**सीजीडी कंपनी का नाम जिसके द्वारा सीबीजी की फुटकर बिक्री की जानी है**	**सीजीडी कंपनी के भौगोलिक क्षेत्र का नाम जिसके द्वारा सीबीजी की फुटकर बिक्री की जानी है**	सीबीजी मात्रा (प्रति दिन टन में)
1				
2				
3				
4				

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता पदनाम मोहर दिनांक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का दूरभाष/ ईमेल	

टिप्पणी:

1. आवेदक को उपर्युक्त के संदर्भ में सभी प्रासंगिक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।

2. **आवेदक द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज स्व-प्रमाणित किए जाने चाहिए।**

3. कृपया स्पष्ट रूप से समझाने के लिए विवरण प्रदान करें। यदि आवश्यक हो, तो अलग शीट संलग्न करें।

अनुलग्नक II

(आवेदक के पत्र-शीर्ष पर)

शपथ-पत्र

मैं_____________________________________, एतद्द्वारा________________________(फर्म/कंपनी का नाम और इसका पूरा पता) का *निदेशक / प्रोपराइटर / पार्टनर / अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूँ और निम्नानुसार घोषणा करता हूँ कि:-

1. हमारी फर्म/कंपनी अर्थात् ____(*फर्म/कंपनी के नाम का उल्लेख करें) ______________________________ (अधिनियम के नाम का उल्लेख करें) के प्रावधानों के तहत पंजीकरण सं.________________द्वारा पंजीकृत है।

2. हमारी फर्म/कंपनी अर्थात् ____(*फर्म/कंपनी के नाम का उल्लेख करें) ने पूरे भारत में सीजीडी कंपनी को कंप्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) की आपूर्ति करने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति के संदर्भ में आवेदन किया है।

3. यह कि ____ (फर्म/कंपनी के नाम का उल्लेख करें) ऊपर उल्लिखित आवेदन प्रस्तुत करने का पात्र है क्योंकि यह परिसमापन, अदालती रसीवरशिप या ऐसी कार्यवाही के अधीन नहीं है।

4. हमारे आवेदन के साथ प्रस्तुत सभी जानकारी, दस्तावेज और घोषणाएं हमारी सर्वोत्तम जानकारी और समझ के अनुसार सही हैं।

5. यह कि यदि हमारे आवेदन के साथ प्रस्तुत कोई भी जानकारी, दस्तावेज या घोषणा बाद की किसी तारीख में गलत पाई जाती है, तो हम __________ (सीजीडी कंपनी का नाम) इससे होने वाले किसी भी नुकसान की क्षतिपूर्ति करेंगे और ________ (सीजीडी कंपनी का नाम) जैसा उचित समझेगा, कोई कार्रवाई कर सकता है।

स्थान:

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मोहर)

दिनांक:

अनुलग्नक III

भौगोलिक क्षेत्रों (जीए) की सूची, जिसके लिए ईओआई आमंत्रित की गई है			
क्र.सं.	**भौगोलिक क्षेत्र का नाम**	**राज्य**	**सीजीडी कंपनी का नाम**
1	पटना जिला	बिहार	गेल (इंडिया) लिमिटेड
2	पूर्वी सिंहभूम जिला	झारखंड	गेल (इंडिया) लिमिटेड
3	रांची जिला	झारखंड	गेल (इंडिया) लिमिटेड
4	खोरधा जिला	ओडिशा	गेल (इंडिया) लिमिटेड
5	कटक जिला	ओडिशा	गेल (इंडिया) लिमिटेड
6	वाराणसी जिला	उत्तर प्रदेश	गेल (इंडिया) लिमिटेड
7	रामनगर जिला	कर्नाटक	महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड
8	वलसाड (पहले से अधिकृत क्षेत्रों को छोड़कर), धुले और नासिक जिले	महाराष्ट्र और गुजरात	महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड
9	सिंधुदुर्ग जिला	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड
10	पिंपरी - चिचवाड़ सहित पुणे शहर और आसपास के क्षेत्र जैसे हिंजेवाड़ी, चाकन, तालेगांव	महाराष्ट्र	महराष्ट्र प्राकृतिक गैस लिमिटेड
11	झांसी (भाग) जिला	उत्तर प्रदेश	सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड
12	बरेली (भाग) जिला	उत्तर प्रदेश	सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड
13	कानपुर (भाग) जिला	उत्तर प्रदेश	सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड
14	फैजाबाद और सुल्तानपुर जिले	उत्तर प्रदेश	ग्रीन गैस लिमिटेड
15	उन्नाव (पहले से अधिकृत क्षेत्रों को छोड़कर) जिला	उत्तर प्रदेश	ग्रीन गैस लिमिटेड
16	आगरा	उत्तर प्रदेश	ग्रीन गैस लिमिटेड
17	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	ग्रीन गैस लिमिटेड
18	इंदौर (उज्जैन शहर सहित) (भाग) जिला	मध्य प्रदेश	अवंतिका गैस लिमिटेड
19	ग्वालियर (भाग) जिला	मध्य प्रदेश	अवंतिका गैस लिमिटेड

20	काकीनाडा	आंध्र प्रदेश	भाग्यनगर गैस लिमिटेड
21	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश	भाग्यनगर गैस लिमिटेड
22	हैदराबाद	तेलंगाना	भाग्यनगर गैस लिमिटेड
23	रायगढ़ जिला (पहले से अधिकृत क्षेत्रों को छोड़कर)	महाराष्ट्र	महानगर गैस लिमिटेड
24	मुंबई और ग्रेटर मुंबई	महाराष्ट्र	महानगर गैस लिमिटेड
25	ठाणे शहरी और आसपास के नगरनिगम	महाराष्ट्र	महानगर गैस लिमिटेड
26	अगरतला	त्रिपुरा	त्रिपुरा प्राकृतिक गैस कंपनी लिमिटेड
27	गोमती जिला	त्रिपुरा	त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड
28	पश्चिम त्रिपुरा जिला (पहले से अधिकृत क्षेत्रों को छोड़कर)	त्रिपुरा	त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड
29	देहरादून जिला	उत्तराखंड	गेल गैस लिमिटेड
30	देवास (भाग) जिला	मध्य प्रदेश	गेल गैस लिमिटेड
31	सोनीपत (भाग) जिला	हरियाणा	गेल गैस लिमिटेड
32	मेरठ (भाग) जिला	उत्तर प्रदेश	गेल गैस लिमिटेड
33	बेंगलुरु ग्रामीण और शहरी जिले	कर्नाटक	गेल गैस लिमिटेड
34	फिरोजाबाद (ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन)	उत्तर प्रदेश	गेल गैस लिमिटेड
35	गिरिडीह और धनबाद जिले	झारखंड	गेल गैस लिमिटेड
36	दक्षिण कन्नड़ जिला	कर्नाटक	गेल गैस लिमिटेड
37	सुंदरगढ़ और झारसुगुड़ा जिले	ओडिशा	गेल गैस लिमिटेड
38	गंजम, नयागढ़ और पुरी जिले	ओडिशा	गेल गैस लिमिटेड
39	पूर्वी गोदावरी जिला (पहले से अधिकृत क्षेत्र को छोड़कर)	आंध्र प्रदेश	गोदावरी गैस प्राइवेट लिमिटेड
40	पश्चिम गोदावरी जिला	आंध्र प्रदेश	गोदावरी गैस प्राइवेट लिमिटेड
41	कोटा (भाग) जिला	राजस्थान	राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड
42	हरिद्वार जिला	उत्तराखंड	हरिद्वार प्राकृतिक गैस प्राइवेट लिमिटेड
43	उत्तर गोवा जिला	गोवा	गोवा नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड
44	वडोदरा	गुजरात	वडोदरा गैस लिमिटेड
45	सरायकेला-खरसावाँ	झारखंड	गेल गैस लिमिटेड

46	जिला पश्चिमी सिंहभूम	झारखंड	गेल गैस लिमिटेड
47	रायसेन, शाजापुर, सीहोर	मध्य प्रदेश	गेल गैस लिमिटेड
48	मिर्ज़ापुर, चंदौली , सोनभदरा	उत्तर प्रदेश	गेल गैस लिमिटेड
49	ग्वालिअर, श्योपुर	मध्य प्रदेश	राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड
50	कछार, हैलाकांडी और करीमगंज जिले	असम	कंसोर्टियम ऑफ असम गैस कंपनी लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड और गेल गैस लिमिटेड
51	कामरूप और कामरूप महानगर जिले	असम	